N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** जबलपुर **P.S. (थाना):** रांझी

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0126 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 18/02/2025 23:23 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471
5	भा दं सं 1860	34

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 01/08/2022
Date To (दिनांक तक): 11/04/2023
Time Period (समय अवधि):
Time From (समय से): 00:00 बजे
Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/02/2025
Time (समय): 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015
Date & Time (दिनांक और समय): 18/02/2025 23:23

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर, 01 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address (पता):** अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय,रांझी जबलपुर

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name (नाम):** संतोष कुमार यादव की ओर से उनि तुलसीराम राम गौलिया
   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** स्व. घसीटेलाल यादव
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सहायक ग्रेड 3 अनुविभागीय,अधिकारी कार्यालय रांझी,जबलपुर,रांझी, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	सहायक ग्रेड 3 अनुविभागीय,अधिकारी कार्यालय रांझी,जबलपुर,रांझी, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-8959794277

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मुकेश बर्मन/mukesh barman		पिता का नाम : नत्थूलाल वर्मन	1. जबलपुर,रांझी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	दिलीप कुमार /dileep kumar		पिता का नाम : छोटेलाल	1. जबलपुर,रांझी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
3	सूरज सिंह/suraj singh		पिता का नाम : भीकम सिंह	1. jabalpur,रांझी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
4	अंकित अग्रवाल/ankit agrawal			1. जबलपुर,रांझी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
5	अर्चना दाहिया/archana dahiya			1. जबलपुर,रांझी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना रांझी मे उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं, आज दिनांक 18/02/25 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दण्डाधिकारी रांझी जबलपुर से सहायक ग्रेड 03 के कर्मचारी संतोष कुमार यादव के द्वारा पत्र क्र 80/री/अ.वि.अ./रांझी/2025 दिनांक 15/02/2025 की एक जांच रिपोर्ट जो पेज क्र. 01 से 39 तक है एवं म,प्र, शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा एससी एसटी के संबध मे जाति प्रमाण पत्र के जारी करने के नियम उल्लेखित है जो पेज क्र. 01 से 19 तक है जांच रिपोर्ट मे लेख किया गया है कि अनावेदक 01 मुकेश वर्मन पिता नत्थूलाल वर्मन 02 दिलीप कुमार पिता छोटेलाल 03 सूरज सिंह पिता भीकम सिंह के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोक सूचना केन्द्र रांझी जबलपुर मे जमा कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर

शासकीय सेवा कर रहे है एवं लोक सेवा केन्द्र के संचालक अंकित अग्रवाल एवं कम्प्यूटर आपरेटर अर्चना दाहिया के द्वारा बिना जांच पड़ताल के एवं बिना दायरा पंजी मे दर्ज कर अनावेदक गणो को फर्जी तरीके से दिनांक 01/08/2022 को अनावेदक मुकेश कुमार वर्मन(मांझी) , दिनांक 13/02/2023 को सूरज सिंह कोल एवं दिनांक 11/04/2023 को दिलीप कुमार गोड़ के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जिस पर तीनो लोग शासकीय सेवा मे सेवारत है जो पत्र के अवलोकन से अपराध धारा 318(4),3(5) बीएनएस 2023 का प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी01 मुकेश वर्मन पिता नत्थूलाल वर्मन 02 दिलीप कुमार पिता छोटेलाल 03 सूरज सिंह पिता भीकम सिंह ,04 अंकित अग्रवाल 05 अर्चना दाहिया के विरुध्द प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया अनुविभागीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट जैल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/दण्डाधिकारी रांझी, जबलपुरपत्र क्र. 80/री/अ.वि.अ./रांझी/2025 जबलपुर दिनंक 15/02/2025प्रति, थाना प्रभारी, थाना रांझी, जिला- जबलपुर विषय:- फर्जी और गलत दस्तावेजों को आधार बनाकर फर्जी तरीक़े से जारी जाति प्रमाण पत्र और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज ग़ायब/नष्ट करने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज करने विषयक। संदर्भ:- 1.कार्यालय कार्यपालन निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड रामपुर जबलपुर ।2. कार्यालय उप महानिरीक्षक ग्ु्रप केन्द्र, केरिपुबल बंगरसिया, भोपाल द्वारा प्राप्त पत्र के संबंध में। --000 उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रांझी को को निम्न तीन व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्राप्त हुए-श्री मुकेश कुमार बर्मन पिता स्व. नत्थुलाल बर्मन जाति प्रमाण पत्र क्र- 6002/बी-121 RS/451/0104/61882/2022, दिनांक 01/08/2022 (संदर्भित पत्र 1) श्री दिलीप कुमार पुत्र छोटे लाल जाति गोंड़ (अनुसूचित जनजाति) का जारी जाति प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र प्र.क्र.-125-बी-121 RS/451/0104/4647/2023, दिनांक 11/04/2023 (संदर्भित पत्र 2) श्री सूरज सिंह पिता भीकम सिंह जाति प्रमाण पत्र प्रकरण क्र. 85000/बी-121, दिनांक 13-02-2023 जाति प्रमाण पत्र RS/451/0104/2269/2023 जाति प्रमाण पत्र के परिपेक्ष्य में प्रतिवेदित है कि :- राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु एक प्रक्रिया स्थापित की गई है जिसमें आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन जमा किये जाते हैं। लोक सेवा केन्द्रों में लोकसेवा प्रबंधक व ऑपरेटर द्वारा आवेदक की जाति की पुष्टि हेतु फार्म उपलब्ध कराया जाता है। उक्त फार्म में सामान्य जानकारी के साथ जाति की पुष्टि हेतु कुछ अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करने होते हैं जैसे कि - परिवार की जाति संबंधी अचल संपत्ति का रिकार्ड, शैक्षणिक रिकार्ड, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति हेतु सन् 1950 एवं अन्य् पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु सन् 1984 की स्थिति में निवास की पुष्टि संबंधित दस्तावेज।उक्त फार्म संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात लोक सेवा केन्द्र में अपलोड किये जाते हैं। अपलोड होने के पश्चात् लोकसेवा केन्द्रों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पंजीबद्ध किया जाता है जिसके पंजीबद्ध होने के उपरांत RS /451/की सीरिज का एक रजिस्ट्रेशन क्रमांक जारी होता है। उक्त आवेदन पंजीबद्ध होने के पश्चात लोक सेवा केन्द्र संचालक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में भेजता है। जिसके पश्चात उक्त फार्म में दी गई मूल जानकारी और फार्म के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की जांच राजस्व अधिकारी के द्वारा की जाती है। जांच में समस्त जानकारी की पुष्टि होने के पश्चात आवेदन को न्यायालय की केस पंजी (दायरा पंजी) में सीरिज बी-121 से जाति प्रमाण पत्र लिपिक/ऑपरेटर के द्वारा दर्ज किया जाता है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को डिजीटल साइन करके जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त तीनों अनावेदकगणों को जारी जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु सबसे पहले नियमानुसार मूल प्रकरण को दायरा पंजी से मिलान किया गया। दायरा पंजी में उपरोक्त तीनों जांति प्रमाण पत्र में वर्णित केस नंबर दायरा पंजी में पंजीबद्ध नहीं पाया गया जिससे कि संदेह की स्थिति में आगामी जांच की गई। जाँच के मूल प्रकरण की खोज की गई लेकिन मूल प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं पाया गया। एसी स्तिथि में लोकसेवा केंद्र द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर जाँच की गई। जांच में यह पाया गया कि तीनों अनावेदकगणों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में जो पता लिखा है उस पते पर वर्तमान एवं सन् 1950 की स्थिति में अनावेदकगण अथवा उनके पूर्वजों का निवास नहीं पाया गया , जोकि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अनिवार्य है । अनावेदक मुकेश कुमार बर्मन

पिता स्व. नत्थुलाल बर्मन नें अपने आवेदन में जिस समग्र सदस्य आई-डी. क्रमांक 18297053 का लेख किया वह उक्त समग्र आई.डी. वास्तव में सोमवती बर्मन ग्राम पंचायत छतवई जनपद पंचायत सुहागपुर जिला शहडोल की है। साथ ही आवेदन पत्र में अनावेदक द्वारा अपलोड अंकसूची माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2001 में गवर्मेन्ट रघुराज हायर सेकेण्ड्री स्कूल क्रमांक 02 शहडोल की है एवं मुकेश बर्मन द्वारा जबलपुर निवास संबंधी अन्य कोई भी दस्तावेज आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया है। शहडोल जिला से होने के कारण और जबलपुर में 1950 की स्थिति में कोई भी निवास प्रमाण नहीं होने की अवस्था में इनका जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी रांझी न्यायालय से जारी किया जाना संभव नहीं था। अनावेदक दिलीप कुमार पुत्र छोटे लाल ने फार्म में अपना ग्राम जय प्रकाश नगर अधारताल जबलपुर वर्णित किया है और साथ में समग्र परिवार आई डी क्रमांक 37454546 प्रदाय की। जांच में यह पाया गया कि उक्त परिवार आई.डी. में दर्ज दिलीप कोई अन्य व्यक्ति है और महर्षि सुदर्शन वार्ड रांझी का निवासी है। अत: गलत समग्र आईडी एवं अधिकारी क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रांझी के न्यायालय में प्रेषित कर वहां से जारी कराया गया। अनावेदक सूरज सिंह पिता श्री भीकम सिंह ने खुद को फार्म में सरस्वती स्कूल के पास पोस्ट खमरिया जबलपुर का निवासी होना बताया है एवं साथ में समग्र परिवार आई डी क्रमांक 44949723 संलग्न की है। उक्त परिवार आई डी में दर्ज वास्तविक सूरज सिंह मृत व्यक्ति है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकसूची भी माध्यमिक 2014 में स्कूल गवर्मेन्ट गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल मेहगांव जिला भिण्ड की है। उक्त तीनों प्रकरणों में अनावेदकगणों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की या अपने नाम से मिलते-जुलते हुए किसी व्यक्ति का समग्र आइडी का उपयोग करते हुए अपना प्रकरण दर्ज करवाया है। उक्त प्रकरणों में जिन अंकसूची का प्रयोग किया गया वह अन्य जिलों की है एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनिवार्य 1950 की स्थिति का निवासी प्रमाण पत्र किसी के भी द्वारा संलग्न नहीं किया गया। जिससे न केवल उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रांझी के क्षेत्र अधिकार से बाहर है वरन विधि विरूद्ध जारी किया गया।अनावेदकगणों द्वारा आवेदन पत्र में गलत दस्तावेज, गलत अंक तालिका एवं निवास की गलत जानकारी दी गई है। अनावेदकगणों ने आवेदन में सही जानकारी छुपाकर एवं मिथ्या प्रतिरूपण करते हुए अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया है। तीनों जाति प्रमाण पत्र वर्तमान कार्यरत एसडीएम द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।तीनों जाति प्रमाणपत्र गलत दस्तावेज, गलत अंक तालिका एवं निवास की गलत जानकारी के आधार पर फर्जी तरीक़े से सुनियोजित षड्यंत्र कर निम्नानुसार प्रक्रिया से जारी किए गए हैं-उल्लेखनीय है कि यह समस्त दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न करने के पश्चात ही फार्म को पंजीबद्ध करने हेतु लोक सेवा केन्द्र बाध्य है जबकि उक्त प्रकरण में लोक सेवा केन्द्र द्वारा जानबूझकर उक्त जानकारी को अनदेखा किया गया एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को क्षेत्र के बाहर होते हुए भी भेजा गया।अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में लोकसेवा केंद्र से प्राप्त आवेदनपत्रों को प्रोसेस करने का दायित्व जाति प्रमाण पत्र लिपिक/ ऑपरेटर अर्चना दाहिया के पास था। अर्चना दाहिया की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह समस्त आवेदन पत्र पर कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करती और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आवेदनपत्र के संबंध में आदेश जारी करवाती। लेकिन अर्चना दाहिया द्वारा उक्त आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किए गए और समस्त अनावेदकगणों के प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी से छुपाते हुए बिना दायरा पंजी में दाखिल करते हुए डिजिटल टोकन का दुरूपयोग कर जाति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। इस पूरी प्रकिया में लोक सेवा केन्द्र के संचालक एवं उसके ऑपरेटरों, अर्चना दाहिया एवं तीनों अनावेदकगणों ने आपराधिक षड्यंत्र और मिलीभगत कर विधि विरूद्ध और फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाये गये। तहसील कार्यालय में तत्कालीन ऑपरेटर अर्चना दाहिया द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के टोकन का गलत उपयोग कर डिजिटली साइन से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। फर्जी तरीक़े से जारी जाति प्रमाणपत्र को छुपाने के लिए प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नहीं किया गया। मूल प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः इस बात की भी प्रबल आशंका है कि उक्त महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज को उक्त व्यक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा।इस बात की भी आशंका है कि लोकसेवा केंद्र के संचालक/ऑपरेटरों और अर्चना दाहिया ने मिलकर कई और जाति प्रमाणपत्र फर्जी तरीक़े

जारी कर दस्तावेज को गायब/नष्ट कर दिया होगा।अतः (1) मुकेश बर्मन पिता नत्थुलाल बर्मन वर्तमान कार्यरत म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड रामपुर , (2) दिलीप कुमार पुत्र छोटे लाल वर्तमान कार्यरत कार्यालय उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केरिपुबल बंगरसिया भोपाल, एवं (3) सूरज सिंह पिता श्री भीकम सिंह वर्तमान कार्यरत कार्यालय उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केरिपुबल बंगरसिया भोपाल, (4) श्री अंकित अग्रवाल लोक सेवा केन्द्र संचालक निवासी 771 अग्रवाल कालोनी कमला नेहरू वार्ड जबलपुर (5) अर्चना दाहिया पति धर्मेन्द्र दाहिया निवासी राजुल सिटी भरदा रोड पनागर जबलपुर के विरूद्ध दस्तावेजों में मिथ्या प्रतिरूपण , गलत जानकारी, फर्जी रूप से गलत दस्तावेजों को अपलोड करने एवं बिना मूल आवेदन पत्र प्राप्त किये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना टोकन का दुरूपयोग कर डिजीटल जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं आपराधिक कृत्य को छुपाने के लिए महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज गायब/नष्ट करने के लिए इनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत एफ.आई.आर दर्ज किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न:-1- जांच प्रतिवेदन।2- मूल आवेदन का प्रिंट। 3- जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 4- समग्र परिवार आई.डी.। रघुवीर सिंह मरावी अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील रांझी जिला जबलपुरपृ. क्र./............. /अ.वि.अ./री./2025जबलपुर दिनांक /02/2025प्रतिलिपि:-1- श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।2- पुलिस अधीक्षक महोदयए, जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ । 3- संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि, अनावेदक मुकेश बर्मन पिता नत्थुलाल बर्मन, दिलीप कुमार पुत्र छोटे लाल एवं सूरज सिंह पिता भीकम सिंह तत्कालीन लोक सेवा केन्द्र प्रबंधक अंकित अग्रवाल निवासी 771 अग्रवाल कालोनी कमला नेहरू वार्ड जबलपुर एवं अर्चना दाहिया पति धर्मेन्द्र दाहिया निवासी राजुल सिटी भरदा रोड पनागर जबलपुर के विरूद्ध थाना रांझी में एफ. आई. आर. दर्ज कराना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अस्पष्ट रघुवीर सिंह मरावी अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील रांझी जिला जबलपुर

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Manas dwevedi(I (Inspector)) / 1111

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
No.(सं.):
Rank (पद):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S.(थाना):
District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Tulsi Ram Gouliya
Rank (पद): 34 [illegible]

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):Manas dwevedi
Rank(पद):I (Inspector)
No.(सं.): 1111

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)